

ग्विनेट काउंटी में अनुपस्थिति मतपत्र अस्वीकृत/रद्द सामुदायिक परामर्श

अपडेट किया गया: 17 अक्टूबर, 2018

"सटीक मिलान" कानून पर जॉर्जिया सचिव, राज्य जिन्होंने 53,000 से अधिक मतदाता पंजीकरण आवेदनों को निरस्त कर दिया, जिनमें से 80% रंग लोग रंगभेद से संबंधित थे, पर मुकदमा चलाने के दो दिन बाद हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि ग्विनेट काउंटी अनुपस्थिति मतपत्र को रद्द किया जा रहा है और मतपत्र के लिए किये जाने वाले अनुरोधों की संख्या राज्य की तुलना से चार गुना अधिक है। ग्विनेट काउंटी में, एशियाई-अमेरिकी मतदाताओं को रद्द करने की दर सर्वाधिक है।

अधिकांश संबंधित मतपत्रों और अनुरोध किए गए मतपत्रों की संख्या सबसे अधिक है जिन्हें रद्द किया गया है क्योंकि मतदाता का हस्ताक्षर राज्य में फाइल किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं होता है। इन मतदाताओं को उनके आवेदन या मतपत्र अस्वीकार करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इसका अर्थ है कि कुछ मतदाताओं को चुनाव वाले दिन तक यह पता ही नहीं चल सकता कि उनके मतपत्रों को खारिज कर दिया गया है, तक तक इस समस्या में सुधार के लिए बहुत देरी हो चुकी होगी।

हमने अदालत में इस अनुचित प्रक्रिया से लड़ने के लिए कदम उठाए हैं और मांग कर रहे हैं कि हस्ताक्षर का मिलान न होने की स्थिति में मतदाताओं को उनके आवेदन या मतपत्रों को खारिज किए जाने से पहले नोटिस दिया जाए ताकि हस्ताक्षर संबंधी विसंगतियों को दूर किया जा सके।

हम आपको यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप अभी भी वोट दे सकते हैं भले ही आपका अनुपस्थिति मतपत्र या आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। यह सलाह उन सभी प्रश्नों का उत्तर है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपके मत की गणना की जाएगी।

अगर मुझे अनुपस्थिति मतपत्र या मतपत्र अनुरोध रद्द कर दिया गया हो तो क्या मुझे अधिसूचना मिल जाएगी?

आपका काउंटी रजिस्ट्रार आपको "तत्काल" सूचित करेगा, लेकिन आपको उनसे संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि चुनाव के बाद तक आपको अधिसूचना प्राप्त नहीं हो सकती है क्योंकि तब तक इस समस्या का समाधान करने में काफी देरी हो जाएगी। यही कारण है कि हम आपको यह पता लगाने हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आपका मतपत्र या मतपत्र अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था या नहीं।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा अनुपस्थिति मतपत्र अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है अथवा नहीं?

[जॉर्जिया माई वोटर्स पृष्ठ](#) की जांच करके या अपने काउंटी रजिस्ट्रार को कॉल करके यह जांच करें कि क्या आपका मतपत्र अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है अथवा नहीं। आप [इस लिंक](#) पर अपने काउंटी रजिस्ट्रार के कार्यालय में संपर्क करने हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्विनेट काउंटी में 678-226-7210 पर संपर्क किया जा सकता है।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अनुपस्थिति मतपत्र को खारिज कर दिया गया था अथवा नहीं?

अपने काउंटी रजिस्ट्रार कार्यालय को कॉल करके यह जांच करें कि आपके मतपत्र को रद्द कर दिया गया है अथवा नहीं। यदि आप ग्विनेट काउंटी के मतदाता हैं, तो इसकी पुष्टि करने के लिए आपका फोन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आपके मतपत्र की गणना की गई है अथवा नहीं।

क्या मैं अभी भी 6 नवंबर, 2018 के चुनाव में मतदान कर सकता/सकती हूँ यदि मेरा अनुपस्थिति मतपत्र या मतपत्र अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था?

हां। आप अभी भी मतदान के दौरान या चुनाव वाले दिन कोई अतिरिक्त कदम उठाए बिना **व्यक्तिगत रूप से** मतदान कर सकते हैं। यदि संभव हो, तो अपने मतदान की गणना नहीं किए जाने के जोखिम को कम करने के लिए, **हम आपको व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।** अगर आप अनुपस्थिति मतपत्र द्वारा मतदान करना चाहते हैं या वोट करना चाहते हैं, तो भी आप एक नया अनुरोध कर सकते हैं। आपका काउंटी रजिस्ट्रार अंतिम दिन भी अनुपस्थिति मतपत्र **शुक्रवार, 2 नवंबर** तक जारी या मेल कर सकता है, लेकिन हम अनुशंसा करते हैं कि आप पहले से अनुरोध पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय के रहते अपने अनुरोध की योजना बनाएं।

क्या होगा, यदि मुझे मेरा अनुपस्थिति मतपत्र प्राप्त हुआ है लेकिन अब मैं व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहता/चाहती हूँ?

अगर आपको अनुपस्थिति मतपत्र प्राप्त हुआ है जिसे आपने मेल नहीं किया है और अब व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहते/चाहती हैं, तो आप ऐसा करना संभव है यदि आप **अनुपस्थिति मतपत्र को पोलिंग पर लाते हैं**, आप इसे वहां पर भी करा सकते हैं।

क्या होगा यदि अनुपस्थिति मतपत्र के लिए मेरा अनुरोध लंबित है लेकिन अब मैं व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहता/चाहती हूँ?

यह एक अधिक जटिल प्रक्रिया है। अगर आपने अनुपस्थिति मतपत्र का अनुरोध किया है और आपके अनुरोध पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए अपने अनुपस्थिति मतपत्र को रद्द करने के लिए **लिखित में** अनुरोध करना होगा। अनुरोध किसी काउंटी के रजिस्ट्रार अधिकारी या अनुपस्थिति मतपत्र क्लर्क द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि किसी मतदान अधिकारी द्वारा। चूंकि काउंटी रजिस्ट्रार अधिकारी या अनुपस्थिति मतपत्र क्लर्क आपके मतदान स्थान पर होने की गारंटी नहीं है, इसलिए आपको मतदान करने से पहले अपने अनुपस्थिति मतपत्र को रद्द करने की योजना बनाना चाहिए। आप इस प्रक्रिया में सहायता के लिए एशियन अमेरिकन एडवर्टाईजिंग जस्टिस वोटर हेल्पलाइन को 470-765-वोट पर फोन कर सकते हैं।

अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है या मतदान की अनुपस्थिति के दौरान या व्यक्तिगत रूप से मतदान के दौरान या आपको व्यक्तिगत रूप से किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कृपया मतदाता हॉटलाइन 470-765-VOTE (8683) पर कॉल करें